

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/ 10106

दिनांक - 31/12/25

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

1 खेताराम पुत्र नीम्बाराम जाति सुथार निवासी प्रहलादसर, सांजटा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

1 राजुराम पुत्र जगमालराम 2 रूपाराम पुत्र अनोपाराम 3 रामाराम 4 हनुमानराम पिसरान किशनाराम 5 रामाराम पुत्र टीलाराम 6 रामाराम पुत्र लच्छाराम 7 किस्तुरी देवी पत्नि मुलाराम निवासी प्रहलादसर, सांजटा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :-518/2025

दिनांक- 23/12/2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा प्रहलादसर पटवार हल्का सांजटा तहसील बाड़मेर ग्रामीण के खसरा संख्या 919/536 रकबा 0.0566 हैक्टेयर व खसरा संख्या 920/536 रकबा 1.7150 हैक्टेयर, खसरा संख्या 926/916 रकबा 0.6798 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पाँच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 31/12/25

क्रमांक :- रीडर/2025/ 10107-10100

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी सांजटा तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी खेताराम पुत्र नीम्बाराम जाति सुथार निवासी प्रहलादसर, सांजटा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण राजुराम पुत्र जगमालराम वगैराह निवासी प्रहलादसर, सांजटा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर